



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1356]
No. 1356]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2005/पौष 7, 1927
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2005/PAUSA 7, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1826(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 49) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 दिसम्बर, 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. ए-11012/1/2005-प्रशा-III(विका.)]

के. डी. सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2005

S.O. 1826(E).—In exercise of powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the National Tax Tribunal Act, 2005 (49 of 2005), the Central Government hereby appoints the 28th day of December, 2005 as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. A-11012/1/2005-Admn.-III(LA)]

K. D. SINGH, Addl. Secy.